न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/62 **दायरा दिनांक : 23.05.2022**

उनवान

1– रमेशचन्द्र पुत्र श्री घांसीलाल जाति नाई निवासी मामोनी तहसील शाहबाद जिला बारां राज0
2– फूलचन्द पुत्र श्री घांसीलाल जाति नाई निवासी मामोनी तहसील शाहबाद जिला बारां राज0
3– अशोक पुत्र श्री घांसीलाल जाति नाई निवासी मामोनी तहसील शाहबाद जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारा राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री चन्द्रमोहन वर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
पेरोकार सरकार श्री संदीप सक्सैना रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 22.08.2024**

ये अपील उपखण्ड अधिकारी शाहबाद के प्रकरण संख्या – 18/2020 निर्णय दिनांक 24.03.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 90, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कर यह कथन किया कि ग्राम मामोनी तहसील शाहबाद मं खसरा नं. 728 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा आराजी स्थित है, जिसे विवादित आराजी कहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद ने अपने निर्णय दिनांक 24.03.2022 द्वारा वादी का वाद सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि ग्राम मामोनी तहसील शाहबाद में खसरा नं. 728 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ सिवायचक बंजड आराजी स्थित है। विवादित आराजी को वादीगण के पिता घांसीलाल ने 30 वर्ष पूर्व नोतोड कर काबिल काश्त बनाया था निरंतर अपने जीवनकाल तक काश्त करते थे सन् 2010 में उनके निधन के बाद से वादीगण पुत्र की हैसियत से निरंतर काबिज काश्त रहे वादीगण के पिता व वादीगण भूमिहीन है उनके परिवार का एक मात्र उपार्जन का

22/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

साधन उक्त आराजी है विवादित आराजी वादीगण के खातेदारी मे दर्ज नहीं होने के कारण दिनांक 23.05.2006 को सरकार द्वारा फतेहसिंह, छिंदूडीबाई मोग्या को आंवटित कर दी गयी थी जिसे वादीगण के पिता ने 14–4 भूआवंटन नियम 1970 के तहत् अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद के यहां आवेदन कर प्रकरण संख्या 20/2007 द्वारा निरस्त करवाया है जिसकी अपील संख्या 210/2007 फतेहसिंह, छिंदूडीबाई मोग्या द्वारा आर.ए.ए. कोटा में पेश की जिसमें अतिरिक्त अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद का निर्णय यथावत रखा गया है। विवादित आराजी को आवंटन नियम हेतु राजस्व अधिकारियों से निवेदन किया तहसीलदार शाहबाद ने अपने पत्र दिनांक 03.01.2013 द्वारा उपजिला कलेक्टर शाहबाद को उनके पत्र दिनांक 11.07.2012 के संबंध में वादीगण को खसरा नं. 728 मोजा मामोनी की भूमि का नियमन करने की अनुशंषा की गयी थी परंतु वादीगण को कोई राहत नही दी गयी ऐसी स्थिति में मजबूरन वादीगण को अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश करना पडा। वाद पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी पर वादीगण को खातेदारी अधिकार घोषित किये जावे।

अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रतिवादी की तलवी उपरांत रेस्पो/प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में वादीगण/अपीलांट के समस्त तथ्यों को स्वीकार किया तथा पुनः नियमन की अनुशंषा की है परंतु साथ ही यह भी अंकित किया कि अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी की घोषणा किया जाना उचित नहीं है। इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तनकी कायम किये ओर प्रकरण तनकीयात कायमी के स्तर पर होने के बावजूद विधि विरूद्ध त्रुटि की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद का निस्तारण बिना तनकी कायम किये तथा तनकीवार निर्णय किये बिना नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादीगण का वाद तनकीयात के स्तर पर खारिज कर दिया है जो पूर्ण रूपेण विधि विरूद्ध होने से तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.03.2022 व 28.02.2022 में पत्रावली तनकी में थी। निर्णय तनकीवार किया जाना चाहिए। जमीन को हमने काबिल काश्त बनाया है। अपीलांटगण द्वारा आवंटन की सिफारिश की गयी, फिर भी आवंटन नहीं हुआ। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पोडेंट पेरोकार सरकार द्वारा लिखित बहस पेश की गयी जिसे पत्रावली में शामिल किया गया। रेस्पोंडेंट पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि पर लम्बे समय से अतिक्रमण/कब्जे के आधार पर खातेदारी देने का दावा पेश किया है यदि सिवायचक भूमि पर अतिचारि को खातेदारी

22/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा.

दी गयी तो लोगों में सरकारी भूमि पर कब्जा करने की होड लग जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी प्रदान करने की अपील खारिज कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी गहनता से अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद विवादित आराजी पर 30 वर्ष लम्बे कब्जे काश्त के आधार पर दायर किया गया। विवादित आराजी अन्य व्यक्तियों को आवंटन करने से वादी द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर शाहबाद से उक्त आवंटन निरस्त कराया गया। तहसीलदार द्वारा कब्जे के आधार पर नियमन की अनुशंषा भी की गयी।

प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि वादी–अपीलांट द्वारा महज 30 वर्षों के अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी अधिकार का अनुतोष चाहा गया है। अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने को कोई प्रावधान नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् प्रकट होता है। अपीलांट नियमानुसार आवंटन कमेटी के समक्ष आवंटन/नियमन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् होने के कारण अपील खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा